द्वारा सूचित किया ... केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र कोरटा
पर आयंदा दिनांक ..25/5/17... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व वाद सं. 02/2015 राज.सरकार बनामः स्व.लका के का.मु. व अन्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 22.05.2017

तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प-अटल सेवा केन्द्र कोरटा में बरोज आज पेश हुई। प्रश्नगत् मामले में पटवारी कोरटा व भू-अभिलेख निरीक्षक पालडी ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। तथाकथित जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि के अवलोकन व परीक्षण फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि सरहद मौजा कोरटा में स्थित गत् खसरा नं. 701 व 702 कुल रकबा 52)4 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं. 428, 599, 600, 596, 598 कुल रकबा 7.29 हेक्टर बने है जिसमें शेरसिंह, चंदनसिंह पि.कुन्दनसिंह वगैरा 2/3 हिस्सा सा.देह खातेदार दर्ज है, शेष 1/3 हिस्सा सिवायचक दर्ज है अर्थात इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण रा.वा.11/02 राज.सरकार बनामः मृत-लका के का.मु. व अन्य अन्तर्गत धारा 175 आर. टी.एक्ट,1955 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.03.2006 की अनुपालना में उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर रखा है जो आज तक बदस्तूर दर्ज चला आ रहा है। इसलिए इस विचारण प्रकरण में कतिपय प्रावधान के तहत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। परन्तु उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के सिवायचक 1/3 हिस्से पर यदि शेरसिंह, चंदनसिंह पि.कुन्दनसिंह वगैरा का अवैध व गैरकानूनी तौर से कब्जा काश्त है तो तहसीलदार सुमेरपुर गैरसायल- शेरसिंह, चंदनसिंह पि.कुन्दनसिंह वगैरा के विरूद्ध बेदखली हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् करे। चूंकि इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से इस प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही को ड्रोप किया जाता है। पत्रावली निर्णित में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner